राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्र. एफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/नवपदो.पंचा.प्र.अ./कार्यग्रहण/2019/. 308 जयपुर, दिनांक/ 7-02-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–अजमेर, अलवर, बांरा, बाड़मेर, डूंगरपुर,
धौलपुर, हनुमानगढ़, जालोर, करौली, नागौर, पाली,
प्रतापगढ़, स.माधोपुर, राजसमन्द, श्रीगंगानगर, सीकर
टोंक।

विषयः– नव पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारियों के कार्यग्रहण एवं संस्थापन संबंधी सूचना भिजवाने बाबत।
प्रसंगः– विभागीय आदेश क्रमांक 303 दिनांक 04.02.2020 एवं आदेश क्रमांक 363 दिनांक 11.02.2020 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेशों द्वारा वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्व ग्राम विकास अधिकारी से पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है।

अतः इस संबंध में निम्न सूचनाऐं दिनांक 24.02.2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करावें:–

1. इन नव पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारियों के पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की पूरे जिले की इकजाई सूचना।
2. इन नव पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारियों में से यदि कोई पदोन्नति फोरगो करना चाहता है तो इसके प्रस्ताव भिजवायें, क्योंकि इनकी पदोन्नति फोरगो की सहमति पंचायती राज विभाग स्तर से ही दी जा सकती हे।
3. नव पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारियों के संस्थापन संबंधी सूचना (संलग्न प्रपत्र में)।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो पंचायत प्रसार अधिकारी उक्त निश्चित दिनांक तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करे और यदि उसके द्वारा कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि की सक्षम स्तर (पंचायती राज विभाग) से स्वीकृति नहीं ली हुई है, तो उनके लिए यह मानते हुए कि वे पदोन्नति नहीं लेना चाहते, नियमानुसार पदोन्नति फोरगो के प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करावें ताकि इनके संबंध में भी नियमानुसार निर्णय लिये जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना नियत समय में संबंधित जिला परिषद को भिजवाना सुनिश्चित करावें। ताकि इकजाई सूचना प्राप्त हो सकें। इस संबंध में सीधे पंचायती राज विभाग से पत्राचार नहीं करें।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

Scanned by CamScanner

पंचायत प्रसार अधिकारियों की संस्थापन्न संबंधी सूचना

1.	पंचायत प्रसार अधिकारी का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	जन्मतिथि	
4.	सेवानिवृत्ति तिथि	
5.	श्रेणी (SC/ ST/ OBC/ Gen/Other)	
6.	शैक्षणिक योग्यता (सेवापुस्तिका अनुसार)	
7.	पदौन्नति के समय ग्राम सेवक पद का वरिष्ठता कमांक (पंचायत राज विभाग का)	
8.	वर्तमान पदस्थापित स्थान	
9.	वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने की दिनांक	
10.	वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किस आदेश से पदस्थापित है (पंचायत राज विभाग का आदेश कमांक/दिनांक अंकित करें)	
11.	पदोन्नति वर्ष	
12.	पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदौन्नति हेतु जारी आदेश कमांक / दिनांक	
13.	पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक	
14.	विशेष विवरण	

Scanned by CamScanner